(खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दर्ज कराने हेतु अभ्यावेदन)

कार्यालय–बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना

अपील संख्या–	दिनांक–	(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)
1.	अपीलकर्त्ता का नाम :	
2.	पिता/पति का नाम : (जो लागू न हो, काट दें)	
3.	अपीलकर्त्ता का पता :	
	ग्राम/क्षेत्र :	
	प्रखंड :	डाकघर :
	थाना :	अनुमंडल :
	जिला : राज्य :	पिन कोड :
	मोबाईल नं०/फोन नं० :	ई मेल :
4.	आधार कार्ड सं०/वैद्य पहचान पत्र की संख्या :	
5.	अपील का कारण : ....(अलग से पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)	
6.	संलग्न दस्तावेज :	
	1. आधार कार्ड/वैद्य पहचान पत्र की छायाप्रति	
	2. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति	
	3. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज	

मैं शपथपूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त अंकित सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं।

स्थानः
दिनांकः

अपीलकर्त्ता का हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्राप्ति संख्याः

हस्ताक्षर एवं मुहर